Setting up of Poly-Technical College for Women at Jodhpur

426. SHRI B. L. PANWAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a proposal for the establishment of a Poly Technical College for Women at Jodhpur is pending before the Central Government for the development of the women folk of the western part of Rajasthan;

(b) by when the said proposal is likely to be sanctioned by Government; and

(c) what is the estimated financial involvement for this project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a to (c) The State Government of Rajasthan had sent a proposal for setting up a residential Women's Poly-technic at Jodhpur under a Central Sector Scheme. However, the Central Sector Scheme was not operationalised following a decision to purpose a State Sector Scheme for the development of polytechnics with World Bank assistance in which such proposals could be covered.

देश में फर्जी विश्वविद्यालय

427. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भारी संख्या में फर्जी विश्वविद्यालय कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों के विषय में कोई जानकारी एकत्र की है ;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1990 की समाप्ति तक इस प्रकार के विश्वविद्यालयों (संस्थाओं) की संख्या कितनी थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि ऐसी संस्थाओं से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन किया जाए ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(च) क्या सरकार कानूनों में संशोधन करने का विचार रखती है; यदि हां, तो इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार, केवल वे ही विश्वविद्यालय जो संसद या विधान मंडल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, या जिन्हें समविश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया जाता है, उन्हें विश्वविद्यालय कहलाने और डिग्रियां प्रदान करने के हक हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग को जनवरी, 1990 के अंत तक 14 संस्थानों के अस्तित्व की जानकारी थी यद्यपि वे कानूनी रूप से विश्वविद्यालय कहलाने के हकदार नहीं थे, वे अपने आपको यूनीवर्सिटीज/विश्वविद्यालय/विद्यापीठ के रूप में घोषित कर रहे थे और डिग्रियां प्रदान कर रहे थे।

(घ) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए विद्यमान विधियों को संशोधित करने के वास्ते सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रकार की संस्थाओं की वृद्धि को रोकने और इस प्रकार की संस्थाओं के खिलाफ दंड को बढ़ाने के प्रश्न की जांच करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति नियुक्त की है।